

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
-:: मंत्रालय ::-
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
// कार्यालयीन आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27/11/2020

क्रमांक 905 /F-2014-04-00769/ब-4/चार :- छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय में पदस्थ अधिकारियों की अवकाश अवधि में शासकीय कार्य को सुचारू रूप से संपादित किये जाने हेतु जारी समस्त लिंक अधिकारी संबंधित आदेश को अधिकमित करते हुए अधिकारियों के नाम के सम्बुख कॉलम क्रमांक 3 एवं 4 में अंकित अधिकारियों को लिंक अधिकारी नामांकित किया जाता है : -

क्र	अधिकारी का नाम	प्रथम लिंक अधिकारी	प्रथम लिंक अधिकारी की अनुपस्थिति में द्वितीय लिंक अधिकारी
1	2	3	4
1	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शारदा वर्मा
2	श्री सतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय
3	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती शीतल शाश्वत वर्मा
4	श्री अतीश पाण्डेय	श्रीमती शारदा वर्मा	श्री सतीश पाण्डेय
5	डॉ. ए.के. सिंह	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	श्रीमती प्रेमा गुलाब एकका
6	श्री राजेश कुमार सिसोदिया	डॉ. ए.के. सिंह	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा
7	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्रीमती प्रेमा गुलाब एकका	डॉ. ए.के. सिंह
8	श्रीमती प्रेमा गुलाब एकका	श्रीमती पूजा शुक्ला मिश्रा	श्री राजेश कुमार सिसोदिया
9	श्री ऋषभ पाराशर	श्री अरविंद कुजूर	श्री आनन्द मिश्रा
10	श्री अरविंद कुजूर	श्री मनोज तिवारी	श्री ऋषभ पाराशर
11	श्री मनोज तिवारी	श्री आनन्द मिश्रा	श्री अरविंद कुजूर
12	श्री आनन्द मिश्रा	श्री ऋषभ पाराशर	श्री सीताराम तिवारी
13	श्री राजशेखर शर्मा	श्री सीताराम तिवारी	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र
14	श्री सीताराम तिवारी	श्री राजशेखर शर्मा	सुश्री हिमशिखा साहू
15	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री शरद परसाई
16	सुश्री हिमशिखा साहू	श्री शरद परसाई	श्री अरविंद कुजूर
17	श्री शरद परसाई	श्री प्रेमसिंह घरेन्द्र	श्री राजशेखर शर्मा

2- वित्त विभाग में पदस्थ समस्त अधिकारी अवकाश में जाने के पूर्व अपने लिंक अधिकारियों से अनौपचारिक चर्चा कर सुनिश्चित करेंगे कि उनके अवकाश अवधि में प्रथम लिंक अधिकारी एवं द्वितीय लिंक अधिकारी अवकाश में तो नहीं है अथवा जा रहे हैं।

3- उक्त लिंक अधिकारी, संबंधित अधिकारी के अवकाश/भ्रमण की अवधि में नस्तियों का निराकरण करेंगे तथा संबंधित अधिकारी अवकाश पर जाते समय अपने लिंक अधिकारी को कार्यों/नस्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी देने के पश्चात् ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे ।

4— उक्त आदेश किसी भी अधिकारी के अन्यत्र स्थानांतरण के फलस्वरूप उनके स्थान पर नवीन पदस्थापना तक अथवा आगामी आदेश तक जो भी पहले हो प्रभावशील होगा।

C:\ccp 27/1
(सचिव पाण्डेय)
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ. कमांक 906 / F-2014-04-00769 / ब-4 / चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 27.11.2020
प्रतिलिपि :—

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टॉफ ऑफिसर, मंत्रालय,
 2. सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 3. विशेष सचिव, वित्त / अपर सचिव, वित्त के निज सहायक
 4. संचालक, बजट / संयुक्त सचिव / उप सचिव, वित्त के निज सहायक, मंत्रालय,
 5. अवर सचिव / शोध अधिकारी / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
 6. समस्त अनुभाग अधिकारी, वित्त विभाग, मंत्रालय,
- की ओर सूचनार्थ।

C:\ccp 27/1
अपर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग